

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / अकादमिक / अ०प्र० / २०२५ / ४८२/५

रीवा, दिनांक १८/०२/२५

अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गतकलासंकाय अन्तर्गत संगीत के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी :—

संगीत अध्ययन मण्डल

अधिनियम 28(2) एक

1.

28(2) दो

1. डॉ. देवाशीष बैनर्जी

विभागाध्यक्ष, संगीत विभाग,
शास. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

2.

डॉ. नागेश त्रिपाठी

विभागाध्यक्ष, संगीत विभाग,
शास. ठा. र. सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

28(2) तीन

1. रिक्त

28(2) चार

1. डॉ. संदीप कुमार त्रिपाठी

विभागाध्यक्ष, संगीत विभाग,
राधा कृष्णा मीरा कान्वे। कालेज सतना (म.प्र.)

2. रिक्त

28(2) पाँच

1. डॉ. सरिता पाठक

शास. ठा.र. सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)


2.

अधिनियम 28(3) के अन्तर्गत डॉ. देवाशीष बैनर्जी को संगीत अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।


कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल (म०प्र०)
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म०प्र०)
3. अध्ययन मण्डल के समर्त सदस्यगण।
4. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. संकायाध्यक्ष, कला संकाय।
6. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समर्त विश्वविद्यालय।
7. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, भोपाल (म०प्र०)
8. कुलगुरु जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक।


सहायक कुलसचिव (अकादमिक)